कार्यालय : 0551 – 2340363

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2020/01– 1777

दिनांक 08/02/2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
सी0एम0 कालेज ऑफ एजुकेशन कुसम्ही बाजार गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र **दिनांक 04.12.2019** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **प्रवक्ताओं** के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1.	डा0 मनोज कुमार शुक्ला	श्री सर्वदेश शुक्ला	23.07.1974	विभागाध्यक्ष, बी0एड0

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उ अनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. **अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।**
3. क्रम संख्या 1 पर चयनित प्रवक्ताओं के NET प्रमाणपत्र का यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। **एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।**

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फ़ोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा **शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

08/02/2020

प्रभारी / अधीक्षक
(सम्बद्धता)

MANAGER
C.M. College of Education
Gorakhpur